Seventeenth Loksabha

an>

Title: Regarding to establish Property Damage Claim Tribunal in Prayagraj, Uttar Pradesh.

श्रीमती केशरी देवी पटेल (फूलपुर): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 'सम्पत्ति क्षति दावा अधिकरण' की स्थापना की ओर दिलाना चाहती हूँ। इसकी स्थापना प्रयागराज में न करके अन्यत्र करने का जो निर्णय लिया गया है, उस संबंध में मेरी मांग है कि उक्त अधिकरण के सुचारू संपादन हेतु यह उचित होगा कि प्रयागराज (इलाहबाद) को केंद्रित करते हुए उक्त अधिकरण का गठन किया जाए। उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की मुख्यपीठ इलाहबाद, प्रयागराज है और प्रदेश के मात्र 13 जनपद ही दूसरी बेंच से जुड़े हुए हैं। संपूर्ण प्रदेश से जुड़े हुए लोग न्याय हेतु इलाहाबाद उच्च न्यायालय आते हैं। उक्त पीठ के प्रयागराज में ही गठन के बाद उन्हें न्याय के लिए अन्यत्र नहीं जाना पड़ेगा। इस बारे में मेरी माँग है कि प्रत्येक स्थितियों में प्रयागराज को केन्द्रित करते हुए अधिकरण की स्थापना की जाए।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपको यह भी अवगत कराना है कि विभिन्न प्रदेश सरकारों द्वारा विभिन्न अधिकरणों की स्थापना, जहां माननीय उच्च न्यायालयों की मुख्य पीठ स्थापित हो, वहां न करके विभिन्न कारणों से अन्यत्र कर दी जाती हैं, जिससे विवाद की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। इस हेतु केन्द्र सरकार के स्तर से स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए जाने का अनुरोध है।

माननीय अध्यक्ष :

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्रीमती केशरी देवी पटेल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है ।